

जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

78/2018

तारीखरजु:-28.06.2018

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- मोटी आदि बनाम रामस्वरूप वगै०


दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज० टि० एक्ट

फर्द अहकाम

18

वादी की और से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज० टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 23.07.2018 को को पेश हो।

2402-11
28/6/18


जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

23-7-18

वादी वकील उप०। प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। P.O. सादर का पद रिक्त की जाइन्दा दिनांक 20.8.18 को पेश हो।

20-8-18

वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश में था है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 17-8-18 को पेश हो।

17-9-18

पत्रावली पेश हुई। वार की दिनांक में कार्य सम्पन्न रखा गया है। गतानुसार दिनांक 11-10-18 को पेश हो।

11-10-18

वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव कार्य में था है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 20-1-18 को पेश हो।

20-1-18

वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश में था है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 30-1-18 को पेश हो।

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

21.10.18 वकूलाय उप०। जबाब पेश नही किंवा परले ही पक्ष सम्य दिवा जरा चुकाडी न्याय हिल मे एक ३३३३३३ मोबा दिवा जाला ही जबाब पेश कले दिनांक 22.11.18 को पेश हो।

22.11.18 वकूलाय उप०। जबाब दावा पेश किया। जबाब शामिल किया गया। तन्की कायम करने दिनांक 13.12.18 को पेश हो।

13.12.18 महुयाग प्रसिदा पीतलन अधिकारी चुनाव कार्याले करौली पघो है। अतः पत्रावली मलापुरात दिनांक 15.1.20 को पेश हो।

15.1.20 वकील अमय पक्ष उपस्थित। कादी मोरी एवं रामखिलाडी उपस्थित। कादीगण एवं कादीगण के वकील ने कथन किया कि अब मुकदमे को डोग चलाना नही चाहते थे। Not-Press कर मुकदमा खारिज करने का कथन किया। अतः यह दवा Not-Press मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Not Press
Sch.

मोरी
रामखिलाडी

